

Order Sheet [Contd]

Case No 2 / 2016 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
19.12.2016	<p>आवेदक/आरोपी कमलकिशोर उर्फ कमलेश शर्मा की ओर से श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आपत्तिकर्ता/फरियादिया सुमन की ओर से श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति पेश।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप0क0 356/16 धारा 420, 467, 468, 471, 408 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>अभियोजन के द्वारा दस्तावेज करने हेतु समय दिये जाने की याचना की गई थी। आज थाना प्रभारी द्वारा जो कि प्रकरण के विवेचना अधिकारी भी है के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर व्यक्त किया गया कि उन्हें प्रकरण से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं हो पाए है। कागजात उपलब्ध कराने हेतु कम से कम 15 दिन का समय उन्हें प्रदान किए जाने का निवेदन किया। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु दिनांक 14.12.16 को भी समय चाहा गया था, किन्तु समय दिए जाने के उपरांत भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका है। ऐसी दशा में अतिरिक्त समय दिये जाने का कोई आधार नहीं है।</p> <p>उपरोक्त आवेदनपत्र पर उभयपक्षों को सुना गया।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री कमलेश शर्मा द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा फरियादी की असत्य शिकायत के आधार पर उसकी विधिवत जाँच न करते हुए फरियादी से मिलकर उसके झूठा अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक को दिनांक 02.12.16 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि आवेदक के द्वारा चेकों की राशि का भुगतान सरपंच व सचिव की पहचान के आधार के श्रमिकों को भुगतान किया गया है और कुछ चेकों की राशि उसे प्राप्त नहीं हुई है। उसके द्वारा कोई फर्जी कार्य नहीं किया गया है एवं उसके द्वारा विधिवत भुगतान कर उसकी रशीदें अपने कार्यालय में</p>	

जमा की गई है। आवेदक नवीन कॉलोनी गोहद का स्थाई निवासी है एवं शासकीय सेवा में पदस्थ है उसके भागने की संभावना नहीं है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक/आरोपी को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

आपत्तिकर्ता अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के द्वारा मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की मजदूरी के पैसों का अदा न करते हुए उक्त शासकीय धन का स्वयं के लिए उपयोग में लाने हेतु कूट रचना कर सम्पूर्ण राशि स्वयं ही आहरण कर ली है। आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति का है उसके विरुद्ध चैक बाउंस का अन्य अपराध जे.एम.एफ.सी न्यायालय में संचालित है। उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। अतः आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। पुलिस थाना गोहद के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कि मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्य से संबंधित मजदूरों का भुगतान जो कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। आरोपी कमलेश शर्मा के द्वारा 4,11,760/- रूपए की राशि आहरण कर अपनी निजी उपयोग के लिए हड़प लिया है। जो कि इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन के आधार पर और इस संबंध में ए.पी. ओ. जनपद पंचायत गोहद के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत ऐंचाहा से संबंधित उपरोक्त राशि का भुगतान मजदूरों को न होने के संबंध में उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि आरोपी के द्वारा कोई भी कूट रचना नहीं की गई है और उसके द्वारा कूट रचना किए जाने तथा मजदूरों का पैसा स्वयं अपने उपयोग में लेने के संबंध में जो भी आक्षेप लगाए गए हैं वह आधारहीन हैं। इस संबंध में कोई ऐसा प्रारंभिक साक्ष्य भी नहीं है।

आपत्तिकर्ता अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी के विरुद्ध धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण चल रहा है। उसके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किया जा सकता है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान प्रकरण जो कि आवेदक/आरोपी के विरुद्ध यह आक्षेप लगाया गया है कि उसके द्वारा पोस्टमेन होते हुए कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण कर मजदूरों के पैसों का आहरण कर अपने उपयोग में लाया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत के ए.पी.ओ. जिनके द्वारा जाँच की जानी बताई गई है, उनके द्वारा मात्र कुछ मजदूरों के कथन लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उनके समक्ष कूट रचना करने के संबंध में है एवं राशि का आहरण करने के संबंध में कोई भी ऐसा दस्तावेज आना भी दर्शित नहीं होता है। इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी जो कि विवेचक भी है के द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु समय दिए जाने की याचना की गई थी, किन्तु इस आशय का इस संबंध में कोई भी दस्तावेज जो कि प्रारंभित तौर से इस तथ्य को दर्शाता हो, उनके द्वारा पेश नहीं किया जा सका है। मात्र इस आधार पर कि आरोपी के विरुद्ध धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण संचालित है उसे आदतन अपराधी होना भी नहीं कहा जा सकता है।

विचारोपरांत जबकि आरोपी दिनांक 02.12.16 से अभिरक्षा में है, इस स्टैज पर अभियोजन के द्वारा संकलित की गई साक्ष्य की प्रकृति एवं प्रकार को देखते हुए एवं प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक जमानत की पात्रता रखता है। आवेदक की ओर से संबंधित विचारण मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 50,000/- रुपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे। शर्तें— 1. विवेचना में विवेचना अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, विचारण के दौरान नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। 2. अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित या प्रलोभित नहीं करेगा। 3. आरोपी इसी प्रकार या किसी अन्य अपराध में संलग्न नहीं रहेगा।

उपरोक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

आदेश की प्रति संबंधित विचारण मजिस्ट्रेट को भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी.सी.थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)